न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला – भीलवाड़ा (राज0)
राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार–2016 ग्राम पंचायत आमली
पीठासीन अधिकारी :– कृष्णपाल सिंह चौहान आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 58/2016

1. श्री नारायण लाल पिता नानु जाट निवासी बालाजीनगर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता नानु जाट निवासी बालाजीनगर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

विपक्षी

प्रार्थना– पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट

आदेश

दिनांक 16.05.2016

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 के तहत् मुकाम आमली पर प्रस्तुत हुई प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पक्ष में विपक्षी के विरुद्ध ताफेसला मूलवाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा फरमाई जावें कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजियात 1198 रकबा 0.60हे., 1199 रकबा 0.51हे., 1222 रकबा 0.26हे., 1225 रकबा 0.17हे., 1237 रकबा 0.23हे., 1240 रकबा 0.02हे., 1241 रकबा 0.50हे., 2277/4142 रकबा 0.21हे., 4123 रकबा 1.39हे., 4124 रकबा 0.59हे., 4126 रकबा 1.81हे. कुल किता 11 कुल रकबा 6.29हे. भूमि का जब तक प्रार्थी व विपक्षी के मध्य विभाजन होकर राजस्व खाते अलग–अलग दर्ज नहीं हो जावे तब तक विपक्षी उक्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजियात से अजनबी व्यक्ति को जबरन प्रवेश नहीं करावें एवं मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

विपक्षी द्वारा प्रा0पत्र 212 रा0टि0 एक्ट का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः जवाब का अवसर समाप्त किया जाता है। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 के तहत् वक्त शिविर मजमें आम में प्रार्थी को सुना गया।

प्रार्थी ने प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रा0 पत्र में की गई प्रार्थना को स्वीकार करने बाबत् निवेदन किया।

मैने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया वक्त सुनवाई प्रार्थी द्वारा की गई प्रार्थना एवं उपलब्ध दस्तावेज पर गहनता से मनन किया। जमाबंदी संम्वत् 2071 से 2074 अंकित ग्राम बालाजीनगर के आराजी नम्बर 1198 रकबा 0.60हे., 1199 रकबा 0.51हे., 1222 रकबा 0.26हे., 1225 रकबा 0.17हे., 1237 रकबा 0.23हे., 1240 रकबा 0.02हे., 1241 रकबा 0.50हे.,

2277/4142 रकबा 0.21हे., 4123 रकबा 1.39हे., 4124 रकबा 0.59हे., 4126 रकबा 1.81हे. कुल किता 11 कुल रकबा 6.29हे. भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगणो के नाम पर संयुक्त रुप से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित होता है तथा सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0 एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0 एक्ट का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के ताफैसला तक जारी की जाती है कि ग्राम बालाजीनगर के आराजी नम्बर 1198 रकबा 0.60हे., 1199 रकबा 0.51हे., 1222 रकबा 0.26हे., 1225 रकबा 0.17हे., 1237 रकबा 0.23हे., 1240 रकबा 0.02हे., 1241 रकबा 0.50हे., 2277/4142 रकबा 0.21हे., 4123 रकबा 1.39हे., 4124 रकबा 0.59हे., 4126 रकबा 1.81हे. कुल किता 11 कुल रकबा 6.29हे. भूमि का जब तक प्रार्थी व विपक्षी के मध्य विभाजन होकर राजस्व खाते अलग–अलग दर्ज नहीं हो जावे तब तक विपक्षी उक्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजियात से अजनबी व्यक्ति को जबरन प्रवेश नहीं करावें एवं मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(श्री कृष्णपाल सिंह चौहान)
सहायक कलक्टर
गंगापुर जिला भीलवाडा